उद्धव की हुई नैतिक जीत, पर सरकार शिंदे की बची...

महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का सुप्रीम फैसला आने के बाद सवालों की गेंद दिल्ली से वापस मुंबई के विधानभवन के पाले में फेंक दी गई है। उद्धव सेना बनाम शिंदे सेना के बीच लंबे चले सत्ता संघर्ष का फैसला सुनाए जाने के बाद जहां उद्धव सेना इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है, वहीं शिंदे सेना इस बात से खुश है कि उनकी सरकार बच गई है।

कब क्या हुआ?

27 जून, 2022: शिवसेना के बागी विधायकों को राहत देते हुए कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही को स्थगित रखा।

29 जून, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को फ्लोर टेस्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

11 जुलाई, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने नवनिर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से ठाकरे गुट के शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आगे कार्यवाही नहीं करने को कहा।

26 जुलाई, 2022: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक शिवसेना के रूप में चुनाव आयोग ने मान्यता दी। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

27 सितंबर, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शिंदे गुट द्वारा असली शिवसेना होने के दावे को चुनौती दी गई थी।

17 फरवरी, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को सात-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया।

20 फरवरी, 2023: उद्धव ठाकरे खेमे ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने और उसे 'धनुष और तीर' चुनाव चिह्न आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

16 मार्च, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे गुटों की क्रॉस-याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।

11 मई, 2023: सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

राजनीतिक संकट में राज्यपाल का हस्तक्षेप गलत : SC

Rajesh.Choudhary
@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : महाराष्ट्र सियासी लड़ाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे ग्रुप के भरत गोगावले को शिवसेना का व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला कानून के तहत गलत था। विधायक दल का व्हिप गोगावले को नियुक्त किया गया था और इस मामले को भी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को इस बात का पता था कि पार्टी दो गुट में बंट चुकी है और इमरजेंसी स्थिति है। फिर भी नए व्हिप बना दिए गए। राजनीतिक पार्टी जिसे मान्यता दे उसे ही पार्टी व्हिप स्पीकर बना सकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का एकनाथ शिंदे को नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करने का 30 जून 2022 का निर्णय उचित था।

राज्यपाल के पास कोई आधार नहीं था

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास इस बात का निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई आधार नहीं था कि तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे सदन में अपना बहुमत खो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को फ्लोर टेस्ट के लिए जस्टिफाई करना था कि बिना मंत्रिमंडल के सलाह के किस परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट जरूरी है, जबकि सदन का सेशन भी नहीं चल रहा था। कुछ विधायकों का असंतोष व्यक्त करना फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं हो सकता है।

> मैंने 'सोच समझ' कर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहा था। मैं कानून का विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन संसदीय और विधायी परंपराओं का जानकार जरूर हूं। *-भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व राज्यपाल*

गतिरोध के समाधान के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी के आंतरिक गतिरोध का निपटारा करने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल को किसी पार्टी के आंतरिक कलह में भूमिका निभाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान और कानून गवर्नर को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वह राजनीतिक लड़ाई में दखल दें और न ही गवर्नर राजनीतिक पार्टियों के आपसी कलह में घुस सकते हैं। गवर्नर ने अलग गुट के विधायकों के प्रस्ताव को मानकर गलती की है कि उद्धव ठाकरे अपना बहुमत खो चुके हैं।

कोर्ट में ये दलीलें दी गईं

ठाकरे ग्रुप ने कहा : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि महाराष्ट्र के गवर्नर बीएस कोश्यारी ने जून 2022 में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया था वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा और उस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए। अगर फ्लोर टेस्ट के उक्त आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। बुधवार को चीफ जस्टिस ने सवाल किया था कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों में मतभेद के आधार पर बहुमत साबित करने को कहना एक निर्वाचित सरकार के गिरने का कारण बन सकता है।

शिंदे ग्रुप ने कहा : शिंदे ग्रुप के वकील ने दलील दी कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव पेंडिंग हो तो वह फिर किसी विधायक को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और एनके कौल पेश हुए और कहा कि नबाम रेबिया केस को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है।

संवैधानिक ढांचे में रहकर सरकार बनाई : एकनाथ शिंदे

हम लोगों ने संविधान के दायरे में रहकर सरकार बनाई थी लेकिन वे (उद्धव ठाकरे) हमारी सरकार को 'असंवैधानिक' बोल रहे थे। अब उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए। लोकतंत्र में बहुमत महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के निलंबन का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष मेरिट पर निर्णय लेंगे। तत्कालीन राज्यपाल ने उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप ही निर्णय लिया था, इसलिए राज्यपाल को इस संबंध में गलत नहीं ठहराया जा सकता।

शिंदे-फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए : उद्धव ठाकरे

नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री शिंदे और फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर फैसला करते समय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुनील प्रभु को उनकी शिवसेना का सचेतक मानना ही होगा। शीर्ष अदालत ने पाया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे नीत खेमे के सुनील प्रभु आधिकारिक सचेतक थे तो इस टिप्पणी के हिसाब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायक अयोग्य साबित होते हैं। जब सरकार बनाने की प्रक्रिया ही अवैध थी तो शिंदे सरकार अवैध हुई।

उद्धव नहीं बन सकेंगे मुख्यमंत्री : देवेंद्र फडणवीस

फैसले के बाद पूरी पिक्चर साफ हो गई है कि अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कोर्ट ने उद्धव ही नहीं बल्कि पूरी महाविकास आघाडी के नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हम तो पहले से ही बोलते आ रहे थे कानून के दायरे में रहकर ही सरकार बनाई थी। लेकिन उनको नहीं समझ में आता है। विधायकों के योग्यता और अयोग्यता का फैसला विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। जो लोग चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, उनके लिए ये फैसला जवाब है।

फैसले के बाद उठे दो बड़े सवाल, आने वाले वक्त में मिलेंगे जिनके जवाब

Abhimanyu.Shitole
@timesgroup.com

■ मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि विधायकों को पात्र या अपात्र ठहराने का फैसला महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उचित समय में यह फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट के भरत गोगावले को चीफ व्हिप के रूप में मान्यता देने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को गैरकानूनी करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने जश्न मनाया।

पहला सवाल विधानसभा अध्यक्ष कितने वक्त में विधायकों की पात्रता-अपात्रता का फैसला करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने 'उचित समय' की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। यानी विधानसभा अध्यक्ष अपनी सुविधा के अनुसार जितना चाहें उतना समय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। विधायकों को पात्र या अपात्र करने की प्रक्रिया लंबी भी चल सकती है, क्योंकि पहले इस मामले में दोनों पक्षों को नोटिस जारी होंगे। फिर दोनों पक्षों के साक्ष्य सुने जाएंगे। उसके बाद अध्यक्ष इस पर कानूनी सलाह लेंगे। उसके बाद कानून के अनुसार उस पर फैसला देंगे।

दूसरा सवाल चीफ व्हिप कौन होगा? क्या सुनील प्रभु जो उद्धव गुट के चीफ व्हिप हैं उनकी मानी जाएगी या शिंदे गुट नए सिरे से चीफ व्हिप नियुक्त करेगा। फैसला स्पीकर को जुलाई में होने वाले सत्र के दौरान करना पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि व्हिप की नियुक्ति केवल राजनीतिक दल का अधिकार है। जिस समय गोगावले को शिंदे ने चीफ व्हिप नियुक्त किया था, तब उन्हें राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब आयोग उन्हें राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे चुका है, चुनाव चिह्न भी आवंटित कर चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी दलों में उत्साह

Manjari.Chaturvedi
@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख से विपक्ष में उत्साह दिख रहा है। भले ही प्रदेश में कोर्ट ने मौजूदा शिंदे सरकार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन शिव सेना में टूट, वहां के पूर्व डिप्टी स्पीकर की भूमिका, तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका को लेकर जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं, उसे देखते हुए राज्य का आघाडी गठबंधन मामले को जमीन पर अपने पक्ष की ओर जाता देख रहा है।

कोर्ट के फैसले के बीच ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुंबई पहुंचे और उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। गुरुवार को वह शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मिले। आगामी 2024 के आम चुनावों के मद्देनजर इन मुलाकातों को अहम माना जा रहा है। विपक्ष मान रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर कोर्ट के हालिया रुख से जमीन पर न सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना को लोगों की सहानुभूति मिलेगी, बल्कि इसका फायदा महाविकास अघाडी को भी होगा। कोर्ट के रुख के अलावा, विपक्ष की नजर कर्नाटक चुनावों के नतीजे पर भी लगी है। विपक्ष का मानना है कि कर्नाटक के नतीजे अगर एग्जिट पोल की तरह ही सामने आते हैं तो यह विपक्षी एकजुटता के लिए एक बेहतर संकेत होगा। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर तालमेल की संभावना बढ़ेगी, वहीं कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। दिल्ली में भी कोर्ट के फैसले को विपक्ष अपने लिए एक बेहतर संकेत मान रहा है।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुंबई में विपक्षी नेताओं से मुलाकात की

फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या होगा असर?

Abhimanyu.Shitole
@timesgroup.com

■ मुंबई : लंबी सुनवाई और लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का फैसला आखिरकार आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ऐसा है जिसमें दोनों ही पक्षों को थोड़ी-थोड़ी राहत मिली है। जहां उद्धव ठाकरे को यह राहत मिली है शिंदे के चीफ व्हिप को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दे दिया है वहीं शिंदे गुट को यह राहत मिली है कि उनकी सत्ता बरकरार है। आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।

1. शिंदे-फडणवीस सरकार बनी रहेगी।
2. अब बीजेपी को एनसीपी, अजित पवार या किसी और प्लान बी की जरूरत नहीं होगी।
3. शिंदे-फडणवीस सरकार पर मंत्रिमंडल का विस्तार का दबाव बढ़ेगा।
4. विधायकों की सदस्यता का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष पर छोड़ा है, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, ऐसे में सरकार की स्थिरता को लेकर फिलहाल कोई खतरा नहीं है।
5. बागी गुट मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस कथन के बाद शिवसेना के नाम को लेकर संघर्ष फिर तेज होगा।
6. उद्धव ठाकरे गुट पहले दिन से शिंदे फडणवीस सरकार को असंवैधानिक कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले को लेकर जो बातें कही गई हैं अब उन्हीं के आधार पर उद्धव गुट अपने बात को और मजबूती से रखेगा।

उद्धव को क्या फायदा?

जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गई है और शिवसेना में बगावत हुई है उद्धव ठाकरे पूरी ताकत से सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं। इसमें उन्हें बड़े हद तक सफलता भी मिल रही है। अब नैतिकता के आधार पर उद्धव इस कार्ड को और धार देने में जुट गए हैं।

MVA की ताकत

अगर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर नहीं होता है तो महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी अब और मजबूत हो सकती है। क्योंकि शिंदे सरकार की स्थिरता के बाद बीजेपी के लिए फिलहाल उसे तोड़ना जरूरी नहीं रह गया है। पवार, ठाकरे, राहुल मिलकर काम करते हैं तो विपक्ष को मजबूती मिलेगी।

महाराष्ट्र में अब शिंदे सरकार के विस्तार का रास्ता साफ

■ विस, मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकार पर लटकी तलवार की म्यान में वापसी के बाद राज्य मंत्रिमंडल विस्तार और महामंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब हमारे सभी रास्ते साफ हो गए हैं। कोर्ट में मामला होने के कारण हम पिछले दस महीने से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। अब जब न्यायालय का फैसला आ गया है, तो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे।

उद्धव सरकार पतन के करीब 10 महीने पहले अस्तित्व में आई शिंदे-फडणवीस पर 16 विधायकों के अपात्रता की तलवार लटक रही थी। मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पा रहे थे। 20 मंत्रियों से मुख्यमंत्री काम चला रहे थे। मंत्रियों की संख्या कम होने से विधानमंडल की बैठकों में कई बार सदन में मंत्री नहीं पहुंच पाते थे और विधायकों के सवालों का जवाब भी सही तरह से नहीं दे पाते थे। इसके लिए कई बार विपक्ष की आलोचना का शिकार होना पड़ता था।

विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने इस मामले को कई बार सदन में उठाकर सरकार को घेरा। इसके अलावा पालक मंत्रियों की जिले में अनुपस्थिति भी विकास कार्य को प्रभावित कर रहा था। विकास पर असर पड़ा। एक-एक मंत्रियों के कंधे पर कई जिलों के पालक मंत्री का बोझ है। यही हालत मंत्रियों के मंत्रालय को लेकर था।

एनसीपी नेता को समन, आज पूछताछ

■ भाषा, मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख एवं विधायक जयंत पाटिल को समन भेजा है। अधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस्लामपुर सीट से विधायक पाटिल (61) को शुक्रवार को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। पूर्व गृह एवं वित्त मंत्री पाटिल सातवीं बार विधायक चुने गए हैं। ढांचागत विकास एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनी 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' (आईएलएंडएफएस) संबंधी कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में यह समन भेजा गया है।

यात्रा पर पायलट, कांग्रेस ने गहलोत की तारीफ की

■ भाषा, जयपुर

राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ाते हुए पार्टी नेता सचिन पायलट ने अपनी 'जन संघर्ष पदयात्रा' गुरुवार दोपहर को अजमेर से शुरू की। यात्रा शुरू करने से पहले पायलट ने अजमेर में एक सभा की। इसमें उन्होंने कहा कि यात्रा किसी (व्यक्ति विशेष) के विरोध में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पायलट ने कहा, 'अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यह यात्रा निकाली है।' यह यात्रा अजमेर से शुरू होकर जयपुर की ओर आएगी और लगभग 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं, कांग्रेस ने इस यात्रा के बारे में कहा कि अशोक गहलोत 'जन-जन के मुख्यमंत्री' हैं। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए एक विडियो जारी किया। इस वीडियो में गहलोत कुछ विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते और विदेश में पढ़ाई से संबंधित मामलों का समाधान बताते देखे जा सकते हैं।

सचिन पायलट ने अपनी 'जन संघर्ष पदयात्रा' गुरुवार दोपहर को अजमेर से शुरू की

गुटबाजी करने वाला कभी सफल नहीं होता: गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि अपने-पराए की बात करने वाले और गुटबाजी करने वाले अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाले ही लोकतंत्र में सफल होते हैं और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा यही प्रयास किया है। कांग्रेस नेता पंडित दिवंगत नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जो अपने-पराए की बात करता है, जो गुटबाजी पैदा करता है, वह कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी में। ये भावना रखना जरूरी है। गहलोत ने हालांकि अपने संबोधन में किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर गुरुवार को अजमेर से 'जन संघर्ष पदयात्रा' शुरू की है।

डॉक्टर पर हमला तो DGP जिम्मेदार: HC

■ पीटीआई, कोच्चि : केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोल्लम जिले में एक तालुक अस्पताल में 23 साल की डॉक्टर की मरीज के हत्या किए जाने की घटना सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस कौसर ई. की स्पेशल बेंच ने राज्य पुलिस प्रमुख को केरल में सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दूसरे हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा, अगर किसी और डॉक्टर या हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पर हमला किया जाता है तो राज्य के डीजीपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

तमिलनाडु कैबिनेट में फेरबदल

■ पीटीआई, चेन्नै : तमिलनाडु में उद्योग विभाग का काम संभाल रहे थंगम थेनारासु को वित्त मंत्री बनाया गया है। पहले यह विभाग पलानीवेल त्याग राजन के पास था। राजन को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। टी. आर. बी. राजा को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। आईटी विभाग संभाल रहे मनोराज को दुग्ध और डेयरी विकास विभाग सौंपा गया है। एस एम नासर को नौ मई को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। उनके पास दुग्ध विभाग का प्रभार था। सूचना मंत्री एम. पी. सामीनाथन को तमिल विकास और संस्कृति विभाग भी दिया गया है।

मुख्तार की 125 करोड़ की बेनामी संपत्तियां होंगी ज़ब्त

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : ईडी ने माफिया मुख्तार अंसारी की नई दिल्ली व लखनऊ समेत कई शहरों में ₹125 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्तियां चिह्नित की हैं। इन संपत्तियों में मुख्तार ने अपने करीबी गणेश दत्त मिश्रा के जरिए काली कमाई को निवेश किया था। ईडी जल्द ही इन बेनामी संपत्तियों को अटैच करेगा। इसके साथ ही ईडी ने गणेश दत्त मिश्रा को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जल्द गिरफ्तार कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक ईडी को मुख्तार अंसारी के दिल्ली स्थित बेनामी कोठी, लग्जरी फ्लैट, लखनऊ व प्रयागराज के पॉश इलाकों में खरीदी गई कमर्शल संपत्तियों, गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में की तमाम कीमती प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है। ईडी ने राजस्व विभाग से इन जमीनों से जुड़े दस्तावेज जुटा लिए हैं। ज्यादातर जमीनें गणेश दत्त मिश्रा ने या तो अपने या अपने अन्य करीबियों के नाम पर खरीदी हैं।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग

■ विस, नई दिल्ली : मणिपुर में बने सियासी हालात और हिंसा से जुड़ी घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। प्रदेश के प्रभारी भक्त चरणदास ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हुई हिंसा को काबू करने में नाकाम रही, इसलिए लोगों के भरोसे और विश्वास को कायम करने के लिए राज्य में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण राज्य अराजकता से जूझ रहा है। दास ने दावा किया कि प्रदेश में इंटरनेट सुविधाओं पर रोक होने के कारण सूबे का संपर्क बाहरी दुनिया से कट गया है।

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
Oil and Natural Gas Corporation Limited

अभिरुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए सूचना

ओएनजीसी द्वारा भारतीय ऑफ शोअर के लिए एक वेल स्टीम्युलेशन जहाज संपादित करने हेतु परामर्श सेवाएं किराए पर लेना।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ONGC) भारत की अग्रणी राष्ट्रीय एकीकृत ई एंड पी (www.ongcindia.com) कंपनी है। वेल स्टिमुलेशन सर्विसेस (डब्ल्यू एस एस), ओएनजीसी, भारत अरब सागर में अपने पश्चिम/पूर्व ऑफ शोअर (मुख्य रूप से भारत के पश्चिम ऑफ शोअर में अन्वेषण और विकास दोनों) कामकाज के लिए डीपी-2/डीपी-3 प्रणाली के साथ एक कस्टम बिल्ट वेल स्टिमुलेशन जहाज संपादित करने को इच्छुक है।

वेल स्टिमुलेशन जहाज के अधिग्रहण के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने का अनुभव रखने वाली इच्छुक कंपनियां विवरण के लिए ओएनजीसी की वेबसाइट 'tenders.ongc.in' पर जाएं।

संवादात्मक चर्चा / प्रस्तुतिकरण :

ईओआई की बैठक डिजिटल माध्यम से ऑफलाइन प्रत्यक्ष / आभासी बैठक के द्वारा तारीख 06 जून 2023 को उत्तरदाताओं के टाइम ज़ोन के आधार पर उचित समय पर आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि, वे नीचे दी गई ईमेल आईडी पर ईओआई बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रण लिंक भेजने के लिए 02 जून, 2023 को या उससे पहले प्रतिभागियों के नाम और ईमेल आईडी के साथ ईओआई बैठक में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करें।

श्री. प्रियांशु वाजपेयी, एसई (पी), डब्ल्यू एस एस
ई-मेल : vajpeyi_priyanshu@ongc.co.in

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF
GO AIRLINES (INDIA) LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of Corporate Debtor	**Go Airlines (India) Limited**
2	Date of incorporation of corporate debtor	29th April 2004
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Ministry of Corporate Affairs, ROC - Delhi
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U63013DL2004PLC217305
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Registered Office Address:** Britannia Industries Limited, A-33, Lawrence Road Industrial Area, New Delhi 110035 (India) **Principal Office Address:** 4th Floor, Kaledonia Building, Sambhaji Nagar, Sahar Road, Andheri E, Mumbai MH 400069
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	10th May 2023
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	06th November 2023 (180 days)
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Abhilash Lal** Reg. No. - IBBI/IPA-001/IP-P00344/2017-2018/10645
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**IBBI Registered Address Details:** C 192, Belvedere Towers, DLF Phase II, Gurgaon 122 002 E: abhilash.lal@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Financial creditors to submit claim through electronic means only:** **Abhilash Lal** C/o Alvarez & Marsal India Professionals Services LLP. Unit 601/602, 6th Floor, Tower 2A Off Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai 400 013 E: gofirstcirp@gmail.com All other creditors are requested to submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. For electronic submission please access the following link - https://www.gofirstclaims.in/claims, alternatively, this link can also be accessed through https://www.flygofirst.com/
11	Last date for submission of claims	**24th May 2023** (14 days from receipt of copy of NCLT order dated 10 May 2023)
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14	a) Relevant Forms and b) Details of authorized representatives are available at	a) https://ibbi.gov.in/home/downloads b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of GoAirlines (India) Limited on 10th May 2023.
The creditors of Go Airlines (India) Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 24th May 2023 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Abhilash Lal
Interim Resolution Professional

Date: 13th May 2023
Place: Mumbai